राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

पत्रांकः प.1(1)चि.स्वा./गुप–2/2020/ जयपुर, दिनांकः 25.09.2020

आदेश

राज्य में कोविड–19 से संक्रमित मरीजों के समुचित उपचार एवं उनको उपयुक्त चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि मरीज का Identification एवं चिकित्सीय उपचार Early Stages में ही प्रारम्भ हो जाये। संक्रमण की प्रारम्भिक अवस्था में ही समयबद्ध रूप से आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा व उपचार उपलब्ध होने के उपरान्त कोविड–19 संक्रमित मरीज Recover हो जाता है। ऐसे मरीज के Negative आने की स्थिति में उसे Discharge किया जाए तथा Positive रहने की स्थिति में भी मरीज यदि Asymptomatic, Moderate/Mild Symptoms हो तो उसकी स्थिति का आंकलन करते हुए उसे Home Isolation अथवा Covid Care Centre में रखा जाए।

उपरोक्तानुसार जहॉ एक ओर शीध्र एंव Aggressive treatment के माध्यम से कोविड–19 से होने वाली जनहानि को रोका जाना संभव होगा। वहीं मरीजों के चिकित्सालयों में Stay आवश्यकता से अधिक नहीं होने के कारण अधिक से अधिक संख्या में मरीजों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

इस अनुरूप व्यवस्था हेतु राजकीय चिकित्सालयों के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक पं.1 (1)चि.स्वा./ग्रुप–2/2020 दिनांक 01.09.2020 के द्वारा जारी किये जा चुके है। इसी क्रम में कोविड–19 से संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे समस्त निजी चिकित्सालयों से भी यह अपेक्षित है कि वे अपने चिकित्सा संस्थान में कम से कम दो चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा यह निर्धारित करने के उपरान्त कि Covid-19 Critical Patient स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए Asymptomatic, Moderate/Mild Symptoms के रूप में Discharge योग्य हो चुका है, तो ऐसे मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे Home Isolation अथवा संबंधित निजी चिकित्सालय से संबंद्व Step Down Facility (COVID Care Center) में भर्ती किया जाए।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त निजी चिकित्सालय, राजस्थान
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव